

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/ई0सी0जी0/12/2022/

देहरादून दिनांक-08 जुलाई, 2022

-:आदेश:-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित ई0सी0जी0 टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुमन राणा	ई0सी0जी0 टैक्नीशियन	उप जिला चिकि0 रानीखेत, अल्मोड़ा	उप जिला चिकि0 एल0डी0भट्ट काशीपुर, ऊधमसिंह नगर	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

16430

पत्र संख्या-3प/पैरा/ई0सी0जी0/12/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/ऊधमसिंह नगर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि0 रानीखेत, अल्मोड़ा/उप जिला चिकि0 एल0डी0भट्ट काशीपुर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/ऊधमसिंह नगर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)